



2026:AHC:2148

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 45541 सन् 2025

भरत पाण्डेय

....याचिककर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष

आवेदक के अधिवक्ता

: अजीत कुमार सिंह

विपक्षी के अधिवक्ता

: जी.ए.

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति अशुतोष श्रीवास्तव

श्री अजीत कुमार सिंह, विद्वान अधिवक्ता को आवेदक की ओर से तथा श्री अरिमर्दन यादव, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता (अ.शा.अ.) को राज्य-प्रतिवादियों की ओर से सुना गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अन्तर्गत प्रस्तुत यह जमानत आवेदन आवेदक भरत पाण्डेय ओर से थाना गड़वार, जिला बलिया में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 309(4), 317(2), 61(2) एवं शस्त्र अधिनियम की धारा 4/25 के अन्तर्गत पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 255 सन् 2025 में जमानत पर रिहाई हेतु प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि आवेदक निर्दोष है तथा उसे किसी अन्य उद्देश्य से इस प्रकरण में मिथ्या रूप से फँसाया गया है तथा वह 16.11.2025 से कारागार में है। आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं था, किन्तु विवेचना के दौरान पुलिस द्वारा केवल इस संदेह के आधार पर उसका नाम लिया गया कि वह अन्य सह-अभियुक्त व्यक्तियों के सम्पर्क में था, क्योंकि उनके मोबाइल फोन घटना के अभिकथित स्थान की परिधि में सक्रिय पाए गए थे।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया गया है कि आवेदक को भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 309(4), 317(2), 61(2), 111(3) एवं शस्त्र अधिनियम की धारा 4/25 के अन्तर्गत अपराध के लिए दण्डिक कार्यवाही में शामिल किया गया है, किन्तु भारतीय न्याय संहिता की धारा 309(4), 317(2), 61(2) के अनिवार्य प्रावधान आवेदक के विरुद्ध लागू नहीं होंगे क्योंकि न तो आवेदक के विरुद्ध पहले कोई आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया है और न ही आवेदक को किसी सक्षम न्यायालय द्वारा आरोपित किया गया है। शस्त्र अधिनियम की धारा 4/25 के आरोपण के सम्बन्ध में, पिस्तौल, गोली आदि की मिथ्या बरामदगी आवेदक तथा सह-अभियुक्त व्यक्तियों के कब्जे से दर्शाई गई है तथा आवेदक को प्रस्तुत प्रकरण में मिथ्या रूप से फँसाया गया है। उसका प्रस्तुत प्रकरण के अतिरिक्त कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है तथा जमानत पर रिहाई की स्थिति में न्याय के मार्ग से भागने या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं है। अतः जमानत की प्रार्थना की गई है।

विद्वान अ.शा.अ. ने जमानत प्रार्थना का कड़ा विरोध किया है, किन्तु वे उपर्युक्त विधिक पहलू पर विवाद नहीं कर सके।

उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की स्थिति में दंड की गंभीरता एवं सहायक साक्ष्य की प्रकृति, साक्षी के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका तथा प्रथम दृष्टया प्रकरण पर विचार करते हुए, किन्तु प्रकरण के गुण-दोष पर टिप्पणी किए बिना, जमानत का मामला बनता है।

तदनुसार, यह जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

अभियुक्त-आवेदक **भरत पाण्डेय** को उपर्युक्त मुकदमा अपराध संख्या में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर व्यक्तिगत मुचलका एवं दो विश्वसनीय जमानतदारों, जो समान राशि के होंगे, प्रस्तुत किए जाने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:

1. आवेदक साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक किसी आपराधिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा।
3. आवेदक अभियोजन साक्षियों पर दबाव/डर नहीं डालेगा तथा विचारण में सहयोग करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तिथि पर नियमित रूप से उपस्थित रहेगा, जब तक संबंधित न्यायालय अधिवक्ता के माध्यम से उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दे।

उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उसकी जमानत निरस्त करने की कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा।

06 जनवरी, 2026

विनोद

(न्यायमूर्ति अशुतोष श्रीवास्तव)

Translated Version, Not For Legal Use